न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 15/2024

प्रार्थीगण

1. श्रीमती सुनी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री फुला भारती, जाति– गोस्वामी, निवासी– बरलुट, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही (राज.)
2. श्री रुपा भारती पुत्र स्वर्गीय श्री फुला भारती, जाति– गोस्वामी, निवासी– बरलुट, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही (राज.)
3. श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री फुला भारती पत्नी मोती भारती, जाति– गोस्वामी, निवासी– बरलुट, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही (राज.)
4. श्रीमती चौथी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री फुला भारती पत्नी बाबू पुरी, जाति– गोस्वामी, निवासी– बागरा, तहसील– जालोर, जिला– जालोर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, बरलुट जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, बरलुट, तह. व जिला–सिरोही
2. श्री नारायण भारती पुत्र स्वर्गीय श्री फुला भारती, जाति– गोस्वामी, निवासी– बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 21 मई, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा श्री नारायण भारती पुत्र फुला जी भारती, निवासी– बरलुट के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) अर्न्तगत क्षेत्रफल 3630 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 05–8–2010 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि ग्राम पंचायत, बरलूट द्वारा दिनांक 05–8–2010 को अप्रार्थी नारायण भारती पुत्र फुला जी भारती, निवासी– बरलुट के नाम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा संख्या 04 जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा संख्या 4 दिनांक 05–8–2010 को अप्रार्थी नारायण भारती के नाम से जारी किया है वह भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नारायण भारती के पिता फुला भारती पुत्र श्री पदमाजी की पुश्तैनी भूमि थी जिस पर फुला भारती व उनकी पत्नी प्रार्थी सुनी देवी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर पक्का मकान निर्मित करवाया था व उक्त मकान के पास में उनके कब्जेशुदा खाली भूखण्ड था एवं इस मकान पर फुला भारती ने अपने जीवनकाल में एक विद्युत कनेक्शन लिया था जिसके बिल का भुगतान आज भी प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

एवं जिस भूखण्ड पर फुला भारतीजी ने अपने जीवनकाल में मकान निर्मित किया था उस भूखण्ड का ग्राम पंचायत, बरलूट द्वारा पट्टा संख्या 04/76—77 दिनांक 27—7—1976 को क्षेत्रफल 1740 वर्गफीट का फुला भारती के नाम से जारी किया हुआ है। अप्रार्थी नारायण भारती द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी मकान व उसके पास में पड़ी हुई प्रार्थीगण की शेष पुश्तैनी कब्जेशुदा खाली भूमि को मिलाकर दिनांक 05—8—2010 को ग्राम पंचायत, बरलुट से मिलीभगत कर पट्टा संख्या 04 जारी करवाया है, जबकि जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी नारायण भारती को ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा जारी किया है उस भूमि में से 1740 वर्गफीट भूमि का पट्टा पूर्व में ही ग्राम पंचायत द्वारा फुला पुत्र पदमा जी भारती के नाम से जारी किया हुआ है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी नारायण भारती के पति/पिता फुला भारती जी की दिनांक 18.04.2013 को मृत्यु हो चुकी है तथा स्वर्गीय फुला भारतीजी के विधिक वारिसान में प्रार्थीगण व अप्रार्थी नारायण भारती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अवैध तरीके से प्रार्थीगण की पुश्तैनी व संयुक्त पट्टे शुदा भूमि व उसके पास पड़ी प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जे शुदा आबादी भूमि को मिलाकर अवैध तरीके से अप्रार्थी नारायण भारती के नाम उक्त पट्टा संख्या 04 जारी किया है। ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी नारायण भारती को दिनांक 05—8—2010 को जिस भूमि का पट्टा संख्या 04 जारी किया गया है उस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में ही फुला भारती के नाम से जारी किया हुआ होने के कारण अप्रार्थी नारायण भारती को पट्टा जारी करने की दिनांक को इस पट्टे में उल्लेखित 3630 वर्गफीट भूमि का स्वामित्व ही ग्राम पंचायत में निहित नहीं था। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत को प्रार्थीगण की पट्टे शुदा भूमि का पुनः अप्रार्थी नारायण भारती के नाम से पट्टा जारी करने में सक्षम नहीं थी। अन्यथा भी ग्राम पंचायत द्वारा एक बार किसी भूमि का पट्टा जारी किये जाने के बाद पुनः उसी भूमि का पट्टा जारी करने का हक अधिकार या क्षेत्राधिकार पंचायत में निहित नहीं होता है बावजूद इसके ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्राधिकार से बाहर जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी नारायण भारती को जारी किया गया है वह भूमि व मकान फुला भारती जी की पुश्तैनी सम्पत्ति होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी सभी चल अचल सम्पत्ति में प्रार्थीगण व अप्रार्थी नारायण भारती, प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा है, परन्तु अप्रार्थी नारायण भारती द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे व स्वामित्व के उक्त मकान व भूखण्ड का पट्टा बिना प्रार्थीगण की जानकारी व सहमति के अपने स्वयं के नाम से मिलीभगत कर जारी करवा दिया। जबकि उक्त आवासीय सम्पत्ति फुला भारतीजी की मृत्यु के पश्चात् उनके सभी विधिक वारिसान की शामलाती है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत ने जिस सम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थी नारायण भारती को जारी किया है उक्त सम्पत्ति फुला भारती जी के विधिक वारिसान की संयुक्त सम्पत्ति है जिसके प्रत्येक भू—भाग व इंच पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी नारायण भारती का समान हक हिस्सा व अधिकार हैं। ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अपने वैद्य प्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थीगण को उनके हक अधिकार की पुश्तैनी आबादी भूमि व मकान से वंचित करने के लिए अप्रार्थी नारायण भारती के नाम से उक्त अवैध पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा उक्त आवासीय भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया है तथा इस नियम के अन्तर्गत पुराने गृहो का ही विनियमितीकरण करने का प्रावधान हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में ग्राम पंचायत से सूचना प्राप्त किये जाने पर जानकारी हुई कि अप्रार्थी नारायण भारती को जारी पट्टा संख्या 04 के संबंध में ग्राम पंचायत कार्यालय में न तो मिसल है न ही प्रस्ताव है और न ही कोई अन्य रिकॉर्ड मौजूद है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही व प्रार्थीगण को सुनवाई का युक्तियुक्त व समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, बरलुट

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

द्वारा अप्रार्थी नारायण भारती को पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति नोटिस जारी नही किया गया है और न ही पंचायत में उपलब्ध रेकर्ड की जांच की है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी नारायण भारती पुत्र फुला जी भारती, निवासी– बरलुट के पक्ष में क्षेत्रफल 3630 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 05–8–2010 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी नारायण भारती पुत्र फुला जी भारती, निवासी ग्राम– बरलुट के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 3630 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 04 दिनांक 05–8–2010 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत। परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की है।

इस संबंध में प्रार्थीगण का कथन है कि ''ग्राम पंचायत, बरलूट द्वारा दिनांक 05–8–2010 को अप्रार्थी नारायण भारती पुत्र फुला जी भारती, निवासी– बरलुट के नाम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा संख्या 04 जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा संख्या 4 दिनांक 05–8–2010 को अप्रार्थी नारायण भारती के नाम से जारी किया है वह भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नारायण भारती के पिता फुला भारती पुत्र श्री पदमाजी की पुश्तैनी भूमि थी जिस पर फुला भारती व उनकी पत्नी प्रार्थी सुनी देवी द्वारा अपने जीवनकाल में उस भूमि पर पक्का मकान निर्मित करवाया था व उक्त मकान के पास में उनके कब्जेशुदा खाली भूखण्ड था एवं इस मकान पर फुला भारती ने अपने जीवनकाल में एक विद्युत कनेक्शन लिया था जिसके बिल का भुगतान आज भी प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है एवं जिस भूखण्ड पर फुला भारतीजी ने अपने जीवनकाल में मकान निर्मित किया था उस भूखण्ड का ग्राम पंचायत, बरलूट द्वारा पट्टा संख्या 04/76–77 दिनांक 27–7–76 को क्षेत्रफल 1740 वर्गफीट का फुला भारती के नाम से जारी किया हुआ है। अप्रार्थी

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नारायण भारती द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी मकान व उसके पास में पड़ी हुई प्रार्थीगण की शेष पुश्तैनी कब्जेशुदा खाली भूमि को मिलाकर दिनांक 05—8—2010 को ग्राम पंचायत, बरलुट से मिलीभगत कर पट्टा संख्या 04 जारी करवाया है, जबकि जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी नारायण भारती को ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा जारी किया है उस भूमि में से 1740 वर्गफीट भूमि का पट्टा पूर्व में ही ग्राम पंचायत द्वारा फुला पुत्र पदमा जी भारती के नाम से जारी किया हुआ है।'' प्रार्थीगण द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा फुला पुत्र पदमा जी भारती, निवासी— बरलुट के पक्ष में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 1740 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 4/76—77 दिनांक 27—7—1976 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें चतुर्दशी उत्तर दिशा में हीरागरों की धर्मशाला का भूखण्ड़, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में नाला व पश्चिम में आम रास्ता, दरवाजा एक अंकित है तथा ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी नारायण भारती पुत्र फुला जी भारती, निवासी— बरलुट के पक्ष में जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 04 दिनांक 05—8—2010 में चतुर्दशी उत्तर दिशा में सरगडों का मन्दिर, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा व पश्चिम में आम रास्ता व दरवाजा अंकित है। इस प्रकार, उक्त दोनों पट्टों की चतुर्दशी आपस में मेल खाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी नारायण भारती पुत्र फुला जी भारती, निवासी— बरलुट के पक्ष में ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा उक्त फुला पुत्र पदमा जी भारती के नाम से पूर्व में जारी पट्टा संख्या 4/76—77 दिनांक 27—7—1976 की भूमि को मिलाकर पट्टा संख्या 04 दिनांक 05—8—2010 को जारी किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने गृहों की भूमि का पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है, इस नियम के अर्न्तगत कब्जेशुदा खाली भूखण्ड़ की भूमि का पट्टा जारी नही किया जा सकता है। जबकि ग्राम पंचायत, बरलुट ने अप्रार्थी नारायण भारती पुत्र फुलाजी भारती, निवासी—बरलुट के पक्ष में पुश्तैनी मकान व खाली कब्जेशुदा भूमि को मिलाकर क्षेत्रफल 3630 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी किया है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि उक्त नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है, उससे अधिक क्षेत्रफल की भूमि का उक्त नियम में वर्णित जिला स्तरीय समिति की नई बाजार दर अनुसार राशि पर ही पट्टा जारी किया जा सकता है, किन्तु इस विचारणीय प्रकरण में ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी नारायण भारती पुत्र फुला जी भारती, निवासी— बरलुट के पक्ष में क्षेत्रफल 3630 वर्गफीट भूमि, जिसमें खाली भूमि भी सम्मिलित है का पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी नारायण भारती पुत्र फुला जी भारती, निवासी ग्राम— बरलुट के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 3630 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 05—8—2010 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, बरलुट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विधि अनुरुप कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 21 मई, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)